वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुवर्डो फेलेरियो): (क) संभवतः इस प्रश्न का आशय ग्रामीण ऋणों के संदर्भ में सेवा क्षेत्र योजना के अन्तर्गत वर्ष 1989–90 के लिये जिला ऋण योजनाएं तैयार करने से है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि अधिकांश बैंक शाखाओं ने अपने-अपने सेवा क्षेत्रों से संबंधित योजनाएं तैयार कर ली हैं। सेवा क्षेत्र योजना के अन्तर्गत, योजना तैयार करते समय स्थानीय विधायकों और संसद सदस्यों से परामर्श करना अपेक्षित नहीं है। अलबत्ता, भारतीय रिजर्व बैंक के अप्रैल, 1989 के परिपत्र के अनुसार, स्थानीय विधायकों तथा संसद सदस्यों को अर्ध-वार्षिक जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठकों में शामिल करने की अपेक्षा की जाती है जिनमें इन योजनाओं के अन्तर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की जानी होती है।

(ख) और (ग) चूंकि सेवा क्षेत्र योजना 1 अप्रैल, 1988 से लागू की गई हैं, अतः इन योजनाओं के अन्तर्गत, समूचे राज्य के लिये समेकित लक्ष्यों से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराना समयपूर्व होगा। अलबत्ता, वर्ष 1988 की जिला ऋण योजनाओं के आधार पर, महाराष्ट्र राज्य के लिये 1148.45 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया था।

महाराष्ट्र के निर्यातकों द्वारा घटिया और गर-औषधीय अरंडी के तेल का निर्यात

3011. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र के कुछ निर्यातकों ने घटिया और गैर-औषधीय अरंडी के तेल का निर्यात करके नकद प्रतिपूर्ति सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. आर. दास मुंशी): (क) देश से निर्यात की गयी अरण्डा तेल की सभी खेपों को वनस्पति तेल ग्रेडिंग तथा विपणन नियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार, सारणीबद्ध किया गया था, यह नियम कृषि उपज (ग्रेडिंग तथा विपणन) अधिनियम, 1937 के अन्तर्गत बनाए गए थे। तदनुसार इनका निरीक्षण तथा प्रमाणन किया जाता है। इसलिए, घटिया औषधीय अरण्डी के तेल के निर्यात का प्रश्न ही नहीं उठता है। औषधीय किस्म के अलावा दूसरी तरह के अरण्डी के तेल के निर्यात की भी अनुमति है। फिर भी इस समय केवल औषधीय किस्म के अरण्डी के तेल के निर्यात पर ही नकद मुआवजा सहायता स्वीकार्य है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

Central take over of the control of Brahmaputra Board

3012. SHRI AMRITLAL BASUMATARY: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether the Central Government propose to take over the control of Brahmaputra Board in order to control floods in Assam;

(b) whether any steps have since been taken in this direction; and

(c) if so, what ar the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF WATER RESOURCES AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): (a) to (c) According to provisions of the Brahmaputra Board Act, No. 46 of 1980, the Central Government has set up a Board in 1982 for planning and integrated implementation of the measures for the control of floods and bank erosion in the Brahmaputra Valley. The Board has since prepared draft master plans for the main Brahmaputra and the Barak sub-basins.